

प्रेषक,  
मण्डलायुक्त,  
आगरा

सेवामें,  
सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार नई दिल्ली।

पत्रांक / शि०स० / एन०ओ०स०१०

/ 2009-2010 दिनांक २७-०१-२०१०

विषय:- एम०एस० पब्लिक स्कूल, मिठाकुर, आगरा को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु  
अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या / 1916(1) / 15-7-09-1(299) / 2007 दिनांक 14 जुलाई,  
2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 06-01-2010 में लिये गये निर्णयानुसार  
उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई, दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये  
जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय का प्रबन्ध समिति में सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य  
होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के मैथावी  
बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा  
संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान, की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में  
विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ  
सेकेण्ड्री एज्यूकेशन नई दिल्ली/कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली  
से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा  
परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण  
संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं  
दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर  
माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका  
पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) विद्यालय में अग्निशमन यंत्र स्थापित कर अग्निशमन अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत  
करेंगे।
- (10) नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अभियन्ता  
से प्राप्त कर लिया जाय।

(11) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2— उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता वरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(राधा एस० चौहान)

आयुक्त

आगरा मण्डल,आगरा

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा

पृ०सं०/शि०स०/एन०ओ०सी०/9542-48/2009-10 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— सचिव, (मा०शि०), उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा-7 अनुभाग, लखनऊ।
- 2— शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3— जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 4— जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्बन्धित जनपद।
- 5— निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6— प्रबन्धक, सम्बन्धित विद्यालय।

*.....*

(राधा एस० चौहान)

आयुक्त

आगरा मण्डल,आगरा